



पशुधन अनुसंधान केन्द्र, चांदन (जैसलमेर)

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

डॉ.विष्णु कुमार
प्रभारी अधिकारी

lrschandan.rajuvas@gmail.com
दूरभाष नं 9079255346 (M)

क्रमांक. एफ ()/पअके/चांदन/2022-23/215

दिनांक: 12.09.2022

दूध विक्रय हेतु निविदा

पशुधन अनुसंधान केन्द्र, चांदन पर दैनिक रूप से प्रातः एवं सायं उत्पादित थारपारकर गाय के दूध के विक्रय (प्रति किलोग्राम दर से) हेतु लिफाफाबन्द निविदा (01.10.2022 से 30.09.2023 तक के लिए मान्य) आमन्त्रित की जाती है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	वस्तु श्रेणी	अनुमानित औसत दैनिक दूध उत्पादन	अनुमानित वार्षिक मूल्य रूपये	धरोहर राशि रूपये	निविदा शुल्क रूपये (अदेय)
1.	गाय का दूध	300 से 350 किलोग्राम	40 लाख	80000/-	500 / -

नोट:- बिना धरोहर राशि, सशर्त तथा अपूर्ण निविदाएं मान्य नहीं होगी। लिफाफाबन्द निविदा धरोहर राशि सहित दिनांक 23.09.2022 को सायं 5:00 बजे तक जमा की जा सकेगी एवं निविदा दिनांक 24.09.2022 को 11:30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा खोली जायेगी। डाक एवं ई-मेल द्वारा प्रेषित निविदाएं मान्य नहीं होगी। निविदा प्रपत्र व संबंधित शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट <http://www.rajuvas.org> एवं <http://sppp.raj.nic.in> पर देखी जा सकती है।

UBN No. VAU2223GLRC00077

प्रभारी अधिकारी



पशुधन अनुसंधान केन्द्र, चांदन (जैसलमेर)
राजस्थान पशुचिकित्सा और पशुविज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

डॉ.विष्णु कुमार
प्रभारी अधिकारी

lrschandan.rajuvas@gmail.com
दूरभाष नं 9079255346 (M)

दूध विक्रय निविदा के बारे में आवश्यक जानकारी

1. लिफाफाबन्द निविदा धरोहर राशि सहित दिनांक 23.09.2022 को सायं 5:00 बजे तक जमा की जा सकेगी एवं अगले दिन दिनांक 24.09.2022 को प्रातः 11:30 बजे प्रभारी अधिकारी के कार्यालय में निविदा खोली जायेगी।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य 500 (अक्षरे पांच सौ) रूपये है जो अदेय (Non-refundable) होगा। इस राशि का भुगतान नकद/ऑनलाइन/डिमाण्ड ड्रॉफ्ट अथवा बैंकर्स चैक के जरिये किया जा सकता है। सामान्य चैक किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। डिमाण्ड ड्रॉफ्ट अथवा बैंकर्स चैक LIVESTOCK RES STAT LRS के नाम से चांदन पर देय होगा। ऑनलाइन भुगतान हेतु खाता विवरण निम्नानुसार है:-

Name of Account Holder – LIVESTOCK RES STAT LRS

Account no. - 40056897336

IFSC code – SBIN0031382

SBI Branch – Chandan, Jaisalmer

3. कार्यालय से क्रय किया हुआ निविदा प्रपत्र ही मान्य होगा।
4. पार्टी द्वारा निविदा प्रपत्र, धरोहर राशि एवं कार्य संपादन राशि का भुगतान जरिये ऑनलाइन ट्रांसफर/NEFT/RTGS/UPI आदि के माध्यम से किये जाने की स्थिति में केन्द्र के बैंक खाते में निर्धारित समय में राशि जमा होने के पश्चात् ही पार्टी को निविदा के योग्य माना जावेगा। ऑनलाइन संबंधी भुगतान के मामले में किसी भी प्रकार की त्रुटि या देरी के लिए पार्टी स्वयं जिम्मेदार होगी।
5. निविदा खोलने की दिनांक या समय में किसी भी परिवर्तन की सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

गाय के दूध विक्रय हेतु निविदा की शर्तें

1. निविदा में भाग लेने के लिये प्रत्येक निविदादाता को बन्द लिफाफे में निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 80000/- (अस्सी हजार रूपये) धरोहर राशि (कुल वार्षिक मूल्य का 2%) पशुधन अनुसंधान केन्द्र, चांदन (जैसलमेर) के नाम जरिये उपरोक्त वर्णित विवरण के अनुसार जरिये ऑनलाइन/डीडी जमा करानी होगी। नकद राशि स्वीकार्य नहीं होगी। बिना अमानत राशि के निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
2. सफल निविदादाता को कुल वार्षिक मूल्य का 5% अर्थात् रूपये 200000/- (दो लाखरुपये) कार्य संपादन राशि के रूप में जमा कराना होगा। इस हेतु निविदा खुलने के बाद उसकी अमानत राशि को इसमें समायोजित करते हुए अवशेषित राशि जो कि 120000/- (एक लाख बीस हजार रूपये) है, दिनांक 29.09.2022 तक जरिये ऑनलाइन/डीडी जमा करवानी होगी। नगद राशि/चैक किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। कार्य संपादन राशि निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं करवाने पर उस पार्टी की निविदा को निरस्त करते हुए अमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
3. निविदा में निविदादाता की कोई शर्तमान्य नहीं होगी। निविदादाता द्वारा किसी भी प्रकार की शर्त का निविदा प्रपत्र पर उल्लेख करने अथवा ऐसा कोई भी पत्र संलग्न करने पर निविदा को निरस्त कर धरोहर राशि जब्त करली जावेगी।
4. दरे केवल पूर्ण रूपयों में ही मान्य होगी। कृपया पैसों में दरें ना दे। किसी भी स्थिति में 32 रूपये प्रति किलोग्राम से कम दर मान्य नहीं होगी। निविदादाता द्वारा 32 रूपये प्रति किलोग्राम से कम दर भरने पर निविदा को निरस्त कर धरोहर राशि जब्त करली जावेगी।

5. उच्चतम दर प्रस्तुत करने वाली पार्टी को सफल घोषित करते हुए उसे अनुमोदन पत्र जारी किया जावेगा। सफल निविदादाता को दिनांक 29.09.2022 तक रु. 500/- (पांच सौ रुपये) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रभारी अधिकारी, पशुधन अनुसंधान केन्द्र, चांदन (जैसलमेर) के पक्ष में अनुबंध भरकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुबंध स्टाम्प एवं अवशेषित कार्य संपादन राशि जमा होने के आद ही दूध उठाने का स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा।
6. यदि निविदा खुलने में केवल दो पार्टीओं की दर उच्चतम एवं समान प्राप्त होती है एवं दोनो पार्टीओं में से एक पार्टी सुबह एवं दूसरी पार्टी शाम का दूध उठाने को आपस में राजी हो तो दोनो पार्टीओं को सफल निविदा दाता माना जावेगा तथा दोनो पार्टीओं से आधी आधी कार्य संपादन राशि ली जावेगी। ऐसी स्थिति में पूरे वर्ष के दौरान किसी भी एक पार्टी के असफल होने पर दुसरी पार्टी को दोनो समय का दूध उठाने के लिए योग्य माना जावेगा तथा उस पार्टी को तदानुसार अवशेषित कार्य सुपांदन राशि जमा करानी होगी। दोनो पार्टीओं में इस प्रकार की सहमति नहीं बनने की स्थिति में लॉटरी द्वारा सफल निविदादाता का निर्णय किया जावेगा।
7. दो से अधिक पार्टी की दरे समान आने की स्थिति में भी लॉटरी द्वारा सफल निविदादाता का निर्णय किया जावेगा एवं अन्य पार्टी को द्वितीय पार्टी माना जावेगा। द्वितीय पार्टी के मामले में भी एक से अधिक पार्टी होने की स्थिति में लॉटरी द्वारा निर्णय होगा।
8. प्रथम उच्च दर वाली पार्टी के असफल होने की स्थिति में उसकी कार्य संपादन राशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेंगा। इसके बाद द्वितीय पार्टी को प्रथम पार्टी द्वारा घोषित दर पर दूध क्रय करने का ऑफर दिया जावेगा जिसके लिए उसकी सहमति प्राप्त होने पर निविदा पूर्ववत सभी शर्तें एवं नियमों के अनुसार चालू रहेगी एवं उसे अवशेषित दिनों के अनुसार अनुमानित दूध के कुल मूल्य का 5 प्रतिशत कार्य संपादन राशि के तौर पर जमा करवाना होगा एवं निर्धारित अनुबंध पत्र भरना होगा।
9. अधिकतम दर को स्वीकार करना, अपरिहार्य कारणों से ठेके की अवधि घटाना तथा बिना कारण बताये निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रभारी अधिकारी, पशुधन अनुसंधान केन्द्र, चांदन (जैसलमेर) को रहेगा। जिसके लिये सफल निविदादाता को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी और निविदादाता का कोई ऐतराज मान्य नहीं होगा।
10. स्वीकृति आदेश प्रभारी अधिकारी, पशुधन अनुसंधान केन्द्र, चांदन (जैसलमेर) के द्वारा जारी होने के बाद स्वीकृति दर पर ठेकेदार द्वारा प्रतिदिन सुबह एवं शाम उठाये गये दूध का भुगतान उसी समय पर नगद राशि/ऑनलाइन ट्रांसफर द्वारा करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन भुगतान के मामले में किसी भी प्रकार की गड़बड़ के लिए पार्टी जिम्मेदार होगी। पार्टी चाहे तो अपनी सुविधा के लिये दूध की राशि का अग्रिम भुगतान कर सकती है, किन्तु इस स्थिति में अग्रिम राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
11. सफल निविदादाता यदि निविदा की शर्ते तथा नियमों के अनुसार वर्ष में कुल 6 बार तक या 3 दिन तक दूध किसी भी कारणवश दूध नहीं उठाता है तो दूध विक्रय का ठेका स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा तथा जमा की गई हुई कार्य संपादन राशि जप्त कर ली जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा एवं कोई ऐतराज नहीं कर सकेगा।
12. जमा कार्य संपादन राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
13. प्रातः: एवं सायं दूध दुहने का समय नियत है। यद्यपि दुहारी के समय में मौसम, दुधारू गायों की संख्या एवं ग्वालों की संख्या के कारण कुछ अंश तक समय में परिवर्तन हो सकता है जिसके लिए ठेकेदार कोई ऐतराज नहीं कर सकेगा। ठेकेदार द्वारा जल्दी दुहारी करने के लिए अनावश्यक दवाब नहीं डाला जावेगा।

14. ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि दूध दुहने के समय स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपरिथित हो सकता है। वह दूध दुहने से लेकर तौल तक सम्पूर्ण प्रक्रिया में उपरिथित रह सकता है ताकि दूध में मिलावट/गुणवत्ता संबंधित मिथ्या आरोप की संभावना नहीं रहे।
15. गाय का दूध जैसा उत्पादित होगा, उसी मानक का लेना होगा। ठेकेदार द्वारा वसा प्रतिशत/लेक्टोमीटर रीडिंग को लेकर कोई शिकायत मान्य नहीं होगी। दूध की कम्पोजिशन गुणवत्ता के सम्बन्ध में फार्म का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। ठेकेदार को उसके द्वारा कौनसी गायों का दूध लेना है एवं कौनसी का नहीं लेना, इस बारें में निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं होगा।
16. निविदा में उल्लेखित 300 से 350 किलोग्राम दूध प्रतिदिन की औसत मात्रा है जो परिवर्तनशील है। दुधार्सु गायों की संख्या एवं उनके द्वारा उत्पादित दूध की मात्रा में प्रतिदिन बदलाव होता है। दूध का उत्पादन प्रातः, सायं, दैनिक, मासिक या वर्ष भर समान नहीं रहता। जितना दूध उत्पादन होगा उसमें से केन्द्र पर दुग्ध उत्पाद बनाने, अनुसंधान कार्य एवं अधिकारियों/कर्मचारियों/विद्यार्थियों आदि को देने के बाद शेष दूध ही सफल निविदादाता को दिया जायेगा, जिसकी मात्रा पर निविदादाता को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। प्रतिदिन (प्रातः एवं सायं) विक्रय किये जाने वाले दूध की मात्रा में भी असमानता रहती हैं। इस प्रकार केन्द्र के द्वारा प्रतिदिन ठेकेदार को 350 किलोग्राम के लगभग दूध देने की कोई गारण्टी नहीं होगी तथापि केन्द्र का प्रयास रहेगा कि ठेकेदार को अधिक से अधिक दूध मिलें।
17. दूध दुहने के पश्चात् ठेकेदार को समय पर स्वयं के बर्तन में दूध ले जाना होगा। यदि ठेकेदार द्वारा किसी दिन केन्द्र की केन का उपयोग दूध ले जाने में किया जाता एवं वह केन टूट जाती या खो जाती है तो ठेकेदार को उसका पुस्तकीय मूल्य जमा करवाना होगा अन्यथा वह राशि कार्य संपादन राशि में से वसूली जावेगी।
18. यदि ठेकेदार द्वारा विलम्ब से दूध ले जाया जाता है तो दूध खराब होने के कारण इसकी जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी इसके लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि निर्धारित समय पर सफल निविदादाता द्वारा दूध नहीं उठाया जाता है तो विश्वविद्यालय/विभाग दूध निस्तारण के लिये स्वतंत्र होगा। ऐसी परिस्थिति में यदि निर्धारित मुल्य से कम आय प्राप्त होती है तो अन्तर की राशि ठेकेदार को वहन करनी होगी और उसे अन्तर राशि अविलम्ब जमा करानी होगी अन्यथा इस राशि को कार्य संपादन राशि में से काट लिया जावेगा। साथ ही निविदादाता द्वारा दूध नहीं उठाने पर यदि केन्द्र को स्वयं के वाहन का उपयोग कर दूध अन्यत्र ले जाकर बेचना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में ठेकेदार को प्रति समय (पारी) का 1000/- (अक्षरे एक हजार) रूपये की दर से वाहन भाड़ा जमा करवाना होगा नहीं तो यह राशि कार्य संपादन राशि में से काट ली जावेगी।
19. ठेकेदार केन्द्र परिसर में किसी भी बाहरी व्यक्ति को दूध विक्रय नहीं करेगा और किसी भी प्रकार की दूध में मिलावट नहीं करेगा। ऐसा करते हुए पाये जाने पर ठेकेदार निरस्त कर सम्पूर्ण कार्य सम्पादन राशि जब्त कर ली जावेगी। साथ ही ठेकेदार द्वारा फार्म में बिना अनुमति के किसी भी रिकॉर्ड को देखने, पशुओं/बाड़ों के फोटो लेने या वीडियोग्राफी करना वर्जित है। ऐसा करते हुए पाये जाने पर ठेकेदार निरस्त कर सम्पूर्ण कार्य सम्पादन राशि जब्त कर ली जावेगी।
20. ठेकेदार द्वारा डेयरी फार्म के स्टाफ से भद्र व्यवहार अपेक्षित है। किसी भी मामले में ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा डेयरी फार्म के स्टाफ से अभद्र व्यवहार की शिकायत प्राप्त होने पर ठेकेदार निरस्त कर सम्पूर्ण कार्य सम्पादन राशि जब्त कर ली जावेगी एवं आवश्यक होने पर कानूनी कार्यवाही भी की जावेगी।
21. दूध विक्रय की निविदा की दर दिनांक 01.10.2022 से दिनांक 30.09.2023 तक मान्य होगी। जिसे आवश्यकता पड़ने पर पारस्परिक सहमति से 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है।

22. निविदा प्रपत्र के समस्त पृष्ठों एवं संलग्न दस्तावेजों पर निविदातादाता के हस्ताक्षर अनिवार्य है, निविदा प्रपत्र में प्रस्तावित दर अंकों व शब्दों में पृथक—पृथक अंकित की जावे। अंकों व शब्दों में अन्तर होने पर अधिकतम दर को सही माना जायेगा। निविदादाता द्वारा निविदा लिफाफा पर निविदा का विवरण दर्शाना अनिवार्य होगा।
23. निविदा खोलने की दिनांक को अगर कोई अवकाश घोषित होता है तो निविदा दूसरे दिन कार्य दिवस को खोली जायेगी।
24. किसी भी प्रकार विवाद में प्रभारी अधिकारी एवं कमेटी का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। सभी विवादों के लिये न्याय क्षेत्र जैसलमेर होगा।
25. किसी भी प्रकार के लॉकडाउन या कर्फ्यू के कारण दूध की दर में कोई रियारत स्वीकार्य नहीं होगी। सफल निविदादाता को चाहिए कि ऐसी स्थिति में दूध के समुचित निस्तारण के लिए स्वयं अपने स्तर पर पूर्व में ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार रखें।
26. ऐसी सभी पार्टीयां जिनका पिछले 4 वर्षों में ठेका निरस्त कर अमानत राशि जब्त की गयी है वे इस निविदा के लिए अयोग्य होंगी।

मेरे द्वारा निविदा शर्ते 1 से 26 ध्यान से पढ़ ली गई मैं इन शर्तों से पूरी तरह से सहमत हूं।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोबाइल न.

दिनांक: